उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

संख्या- 20 /2016/बी-2- 1275 /दस-2016-244/2016

लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये अनुपूरक अनुदान की माँगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनॉक 29 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 17 सन 2016) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।

2- अत: वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष स्वीकृतियॉ जारी करने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746 /दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के क्रम में प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि वे अनुपूरक माँग में सम्मिलित प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

(क) जिन कार्यों/योजनाओं हेतु, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुपूरक अनुदान में प्रावधान किया गया है, ऐसी धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग की सहमति से जारी की जाये और जारी किये जाने वाले आदेश में उस शासनादेश की संख्या व दिनांक का भी उल्लेख किया जाय, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत की गयी है। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये उस सीमा (धनराशि) तक वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये जितनी धनराशि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से आहरित की गयी है। प्रतिपूर्ति की जो धनराशि शेष बच जाये उसे सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 19/2016 बी-2-1274/दस-2016-एम-46/2016 दिनांक 29 अगस्त,2016 के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

(ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि में योजनाओं/परियोजनाओं पर दिनांक 31 मार्च, 2017 तक व्यय/वास्तविक उपयोग हेतु आवश्यक धनराशि की सीमा तक ही वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जाय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए./डिपाजिट खातों में जमा न किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग) केन्द्र पोषित योजनाओं (केन्द्रांश तथा राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति तभी जारी की जाय जब सम्बन्धित केन्द्रीय योजना की धनराशि (केन्द्रांश) राज्य सरकार को प्राप्त हो जाये और उसके राज्य के खाते में जमा होने की पुष्टि वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से करा ली जाय।

विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के पूर्व अनुमोदन से छूट प्रदान की जा सकेगी।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

संख्या- 20 /2016/बी-2- 1275 (1)/दस-2016-244/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in